छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा   एकादश सत्र   अंक-04

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012

(अग्रहायण-23, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04, एवं 06 से 10 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रामदयाल उईके अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 39 तारांकित एवं 48 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त -

1. छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2011-2012 तथा
2. छत्तीसगढ़ राज्य के विनियोग लेखे वर्ष 2011-2012,

(2) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने अधिसूचना क्रमांक एफ-05-21/बजट/2012/14-2, दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि नीति,

पटल पर रखा।

3. औचित्य का प्रश्न

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि नियमों को शिथिल करते हुए शुक्रवार के दिन चार ध्यानाकर्षण लिए जाएंगे, तो नियमों की शिथिलता क्या समाप्त हो गई है? सप्ताह के अंतिम दिवस में जो ध्यानाकर्षण स्वीकृत किए जाते थे, उनके लिखित उत्तर माननीय सदस्यों को मिलते थे। आज की कार्यसूची में सिर्फ दो ही ध्यानाकर्षण हैं। अगर शासन की ओर से माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिलना बंद हो जायेगा तो विभागों के कार्यों में शिथिलता आ जायेगी। मेरा आग्रह है कि आज चार ध्यानाकर्षण लिए जाने थे एवं 20-25 ध्यानाकर्षण के लिखित उत्तर आने चाहिए थे।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि शुक्रवार को चार ध्यानाकर्षण लिये जाएं। समय, परिस्थिति अनुसार चार ध्यानाकर्षण भी ले लिए जाएंगे, आगे लिये जा सकते हैं । जो माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण सूचना लगायी है, सत्र के अंतिम शुक्रवार या कार्य दिवस में सारे ग्राह्य ध्यानाकर्षण कार्यसूची में अंकित किये जायेंगे एवं दो या चार ध्यानाकर्षण चर्चा में लिये जाएंगे। उसके बाद सारे लिखित उत्तर माननीय सदस्यों को दिये जायेंगे। वह अभी भी नियम में है उसको कहीं पर शिथिल नहीं किया गया है।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में जर्वे डिवीजन के बोकरामुड़ा माइनर अंतर्गत किसानों को सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भैयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(2) श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने जिला महासमुंद में आदिवासियों के उत्थान हेतु प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्रोत्साहन राशि का उपयोग नहीं किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री परेश बागबाहरा
(2) श्री सौरभ सिंह
(3) श्री भोलाराम साहू
(4) श्री लेखराम साहू
(5) श्रीमती अंबिका मरकाम
(6) श्री मोहम्मद अकबर
(7) श्री दीपक कुमार पटेल
(8) श्री नंदकुमार पटेल

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकायें पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री अमितेश शुक्ल
(2) श्री चैतराम साहू
(3) श्री सौरभ सिंह

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012)

श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री ने छत्तीसगढ सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012)

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) पुर:स्थापित किया।

9. वर्ष 2012-2013 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **पंद्रह सौ आठ करोड़, सनतानवे लाख, पैंतीस हजार रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

(प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।)

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

आज सदन में माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अकबर ने शुक्रवार को 4 ध्यानाकर्षण कार्यसूची मे नहीं लेने को आधार बनाकर व्यवस्था का प्रश्न उठाया और पृच्छा की कि क्या नियमों में परिवर्तन हो गया है?

इस संबंध में मेरी व्यवस्था निम्नानुसार है -

नियमों में दो ध्यानाकर्षण सूचनायें चर्चा में लिये जाने एवं शुक्रवार को समस्त ग्राह्य सूचनायें लिये जाने का उल्लेख है, जिनके लिखित उत्तर सदस्यों को उपलब्ध कराये जाते हैं व सदन की अनुमति से ध्यानाकर्षण सूचनाओं के महत्व एवं समय/कार्य की स्थिति को देखकर 2 से अधिक सूचनाओं पर चर्चा की अनुमति आसंदी द्वारा दी जाती है।

मेरे पास विचाराधीन सूचनाओं एवं उनके महत्व को देखते हुए मैंने ग्राह्य सूचनाओं को कार्यसूची में सूचिबद्ध नहीं करते हुए उन्हें शेष बैठकों में सदन में लेने हेतु विचाराधीन रखा है।

चूंकि आज अनुपूरक अनुमान पर चर्चा भी होनी है, अतः उपलब्ध समय/कार्य की स्थिति को विचार में रखकर आज नियमानुसार दो ही सूचनायें सदन में चर्चा के लिये ली हैं।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ऐसे विषयों पर व्यवस्था का प्रश्न के स्थान पर मुझसे कक्ष में चर्चा करें तो उत्तम होगा।

11. वर्ष 2012-2013 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, अमरजीत भगत, विरेन्द्र कुमार साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.शक्राजीत नायक, डॉ.सुभाऊ कश्यप,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री लखमा कवासी, फूलचंद सिंह, भजन सिंह निरंकारी, डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, टी.एस.सिंहदेव, दूजराम बौद्ध, खेदूराम साहू, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, रामजी भारती, रविन्द्र चौबे।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2012 (क्रमांक-18 सन् 2012)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2012 (क्रमांक-18 सन् 2012) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2012 (क्रमांक-18 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

13. अध्यक्षीय उद्‌गार

आज 14 दिसम्बर है। मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराना चाहता हूं कि आज ही के दिन वर्ष 2000 में इस सभा की प्रथम बैठक हुई है और हम सबने इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था के माध्यम से जनकल्याण व प्रदेश को विकास की राह पर द्रुतगति से ले जाने का संकल्प लिया था।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस सभा के माध्यम से इस प्रदेश ने चहुँमुखी विकास के नये-नये कीर्तिमान वर्ष दर वर्ष स्थापित करते हुए इस प्रदेश की पहचान पूरे देश में स्थापित की है।

आप सब अपने संकल्प के अनुरूप निरंतर जनकल्याण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें इस हेतु आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं।

माननीय मुख्यमंत्री जी एवं नेता प्रतिपक्ष को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उनके समन्वित प्रयास से इस सदन ने उत्कृष्ट परम्पराएं स्थापित की।

सायं 4.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 19 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण, 28 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा